

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या -05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	अवधि	विद्यालय व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है (राउमावि)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सुनिता, रिणु, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	भौतिक विज्ञान	माह जनवरी 2022 से पद स्वीकृत होने तक	राउमावि, रिणु, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में व्याख्याता गणित के रिक्त पद विरुद्ध
2.	श्री मदन लाल यादव, अजीतगढ़ (सीकर)	भौतिक विज्ञान(पद विरुद्ध)	माह नवम्बर 2021 से पद स्वीकृत होने तक	राउमावि अजीतगढ़ (सीकर) में व्याख्याता के वाणिज्य-अर्थशास्त्र के रिक्त पद विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक : 28.01.2022

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/वेतन-व्यवस्था/2022/5

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सचूनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

सत्यमेव जयते


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	विषय- व्याख्याता	अवधि	स्थान व पद जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	2	3	4	5
1	सरोज कुमारी गिल राउमावि. सांगरवा सीकर	भूगोल	अक्टूबर 2021 से आगामी आदेशों तक	राउमावि. कांकरा दांतारामगढ, सीकर में व्याख्याता भूगोल के स्वीकृत रिक्त पद से

उपर्युक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

- क्रमांक- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/447
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
 2. सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
 3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
 4. सम्बंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक.....।
 5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
 6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 28/01/2022

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर